

कार्यालय

पत्रांक: 2102/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 05 जून, 2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 17.05.2020 के क्रम में, मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18.05.2020 के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

**4- कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन:-**

- (i) जोन का निर्धारण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
- (ii) निर्धारित जोन के अंदर कन्टेनमेन्ट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन के क्रम में किया जायेगा।
- (iii) कन्टेनमेन्ट जोन निम्नवत परिभाषित की जाती है:-

**शहरी क्षेत्र**

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है, वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

**ग्रामीण क्षेत्र**

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा।
  - (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगे।
- (iv) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधि नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।



- (v) कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
- (vi) कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 05.06.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 23 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 03-चौक बाजार, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम एवं मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर हॉटस्पॉट नगर बुलन्दशहर में बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 20 हॉटस्पॉट-नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0 पीरजादगान खुर्जा, ग्राम सिरोधन सिकन्द्राबाद, ग्राम ढोंका थाना अहमदगढ़, कायस्थवाड़ा (गुरुद्वारे के सामने) सिकन्द्राबाद, खत्रीवाड़ा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद, ग्राम सतोहा, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम सरायघासी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0 सरावगीवाड़ा, सिकन्द्राबाद, मौ0 काजीखेल डिबाई, मौ0 मदनभट्ट सिकन्द्राबाद, मौ0 पीली कोठी (निकट जेवर अड़डा चौक) खुर्जा, ग्राम मझवरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम राशिदपुर, वि0ख0 लखावटी, तहसील सदर, मौ0 पुरानी सब्जी मण्डी, औरंगाबाद, ग्राम ततारपुर, वि0ख0 अगौता, तहसील सदर, ग्राम कीरतपुर, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर, ग्राम दस्तूरा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम दरियापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 छांसियावाड़ा सिकन्द्राबाद बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

जनपद में अन्य जनपदों/प्रान्तों से काफी संख्या में आये प्रवासी मजदूरों में से 12 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं, जिसके कारण जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में अचानक ही वृद्धि हुई है। आज दिनांक 05.06.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-167 है, 147 व्यक्ति मेडिकल क्वारेनटाईन में है तथा 411 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 04 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश हैं। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

*[Handwritten Signature]*  
05/06/2020

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।



गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जून 5, 2020

सेवा में,


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

  
5-6-20

निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर